उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-07/2019

आनंद कु0 दत्ता एवं अन्य

बनाम्

सनातन दत्ता वगैरह

--: आदेश :–

दिनांक 18/08/19

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता आनंद कु0 दत्ता वो रतन कु0 दत्ता वो मिहिर कु0 दत्ता वो मानव कु0 दत्ता, पेसरान भोलानाथ दत्ता, सा0–छोटा खदहरा, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के मिस केश नं0–42/18–19 आदेश दिनांक–28.01.2019 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। आदेश दिनांक–28.01.2019 के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने दुखनी देवी उर्फ अनिमा देवी का दावा आवेदन खारिज किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्तागण गत जमाबंदी रैयत के वंशज है, जिनका संवंध निम्न वंशावली से स्पष्ट होता है।

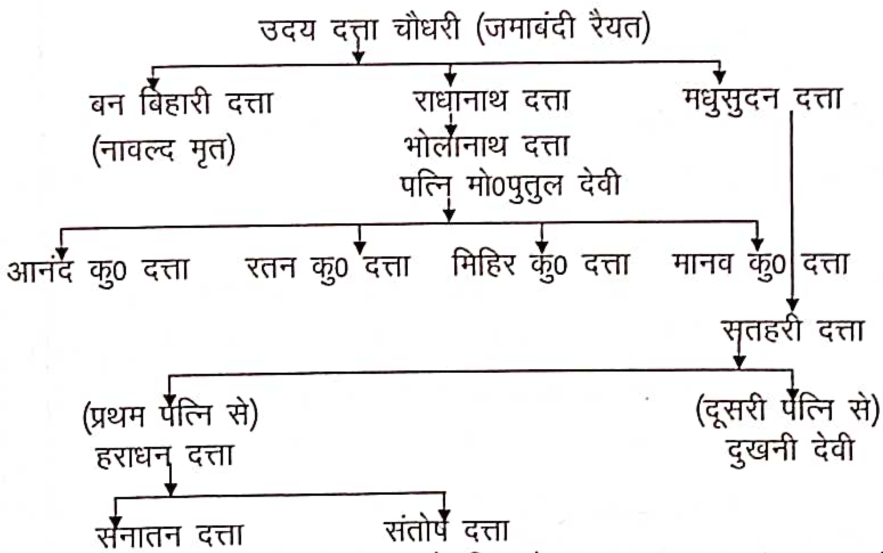

उनका आगे कथन है कि मौजा–खदहराघाट नं0–717 के जमाबंदी सं0–7 के अंदर दाग नं0–72, 74, 76, 73, 77, 66, 64 की जमीन

एन0टी0पी0सी0 जी0आर0 रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अधिग्रहण किया गया है। इनमें से पाँच दाग नं0–72, 73, 77, 66 एवं 64 रकवा 1–01 एकड़ जमीन का मुआवजा कुल 2,87,303.00 रूपैया मो0 पुतुल देवी के नाम से पूर्व में भुगतान हो चुका है। इस जमावंदी के दाग नं0–74, 76 की जमीन में हराधन दत्ता ने रूपैये का भुगतान करने के लिए दावा किया था, लेकिन न तो हराधन दत्ता को और न ही मो0 पुतुल देवी के नाम से दावा का भुगतान किया गया है।चूँकि जमावंदी सं0–7 के दाग नं0–74 एवं 76 की जमीन वन विहारी दत्ता की हिस्से की जमीन है एवं वन विहारी दत्ता की नावल्द मृत्यु हो गयी है तथा नावल्द मृत्यु होने के कारण राधानाथ दत्ता एवं मधुसूदन दत्ता के वंशजों के बीच उक्त जमीन का आपसी बँटवारा हो चुका है। उक्त जमीन में से अपीलकर्त्ता आनंद कुमार दत्ता वगैरह आधा हिस्सा के हकदार है। इसलिए दाग नं0–74 एवं 76 का रकवा 34 डिसमिल में से रकवा 17 डिसमिल जमीन का भुगतान अपीलकर्त्तागण को मिलना चाहिए तथा दाग नं0–64, 66, 77, 72, 73 में से 11 डिसमिल जमीन का भुगतान अपीलकर्त्तागण को मिलना चाहिए। अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त जमावंदी के अन्तर्गत दाग नं0–74 रकवा 76 की अधिग्रहित जमीन का आधा हिस्सा भुगतान करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–खदहराघाट जमाबंदी सं0–7 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में उदय दत्ता चौधरी वगैरह के नाम से दर्ज है, जिसका वंशावली निम्न प्रकार है :–

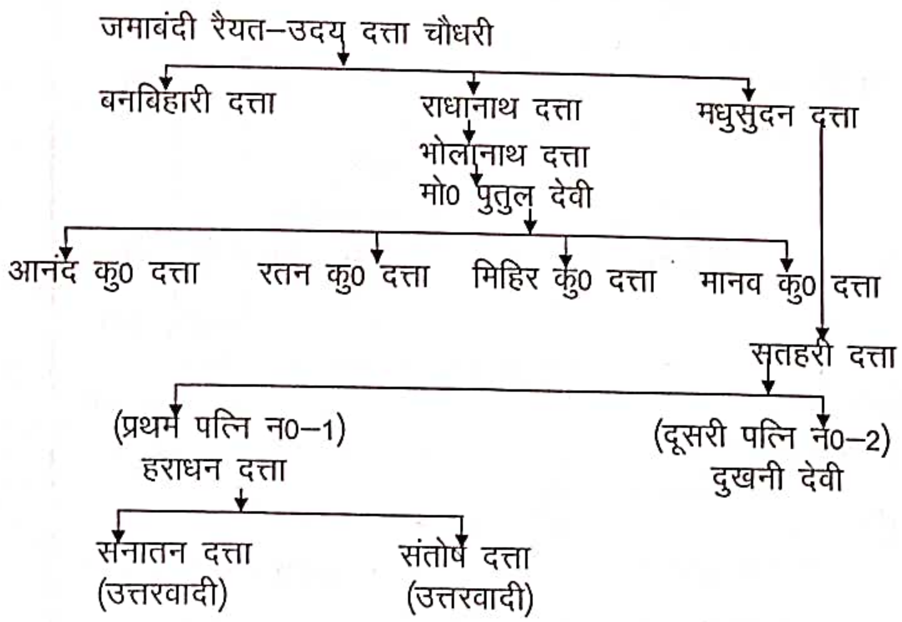

उनका आगे कथन है कि पक्षकार तामोली बंगाली है, जिसके सम्पति पर हक का निर्धारण दयाभाग विद्यालय या बंगाली विद्यालय से शासित होता है। जमाबंदी रैयत उदय दत्ता चौधरी को क्रमशः तीन पुत्र बन बिहारी दत्ता, राधानाथ दत्ता एवं मधुसूदन दत्ता हुए। बन बिहारी दत्ता की मृत्यु नावल्द हो गयी। दो पुत्र राधानाथ दत्ता एवं मधुसूदन दत्ता जीवित रहे और दोनों ने अपने पिता का आधा–आधा जमीन प्राप्त किया। राधानाथ दत्ता को एक पुत्र भोलानाथ दत्ता हुए एवं मधुसूदन दत्ता को एक पुत्र सतहरी दत्ता हुए। भोलानाथ दत्ता एवं सतहरी दत्ता ने अपने–अपने पिता की हिस्से की जमीन प्राप्त किया। भोलानाथ दत्ता अपने पीछे अपनी पत्नि पुतुल देवी एवं चार पुत्र क्रमशः आनंद कु0 दत्ता, रतन कु0 दत्ता, मिहिर कु0 दत्ता एवं मानव दत्ता को छोड़कर फौत कर गये। दूसरी तरफ सतहरी दत्ता को पहली पत्नि से एक पुत्र हराधन दत्ता हुए एवं दूसरी पत्नि से एक मात्र पुत्री दुखनी देवी हुई। हराधन दत्ता एवं दुखनी देवी सौतेला भाई–बहन है। इसलिए दयाभाग कानून के अनुसार हराधन दत्ता अपने पिता के इकलौते पुत्र होने के कारण एवं सपिण्ड शिप का संबंध होने के कारण पुत्र को ही अपने पिता के सम्पति पर कानून हक प्राप्त होता है तथा दुखनी देवी हराधन दत्ता के सौतेली बहन होने के कारण एवं उनका शादी होने के बाद उन्हें हक प्राप्त नहीं है और मुआवजा की राशि भी उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अपने पिता का एक मात्र पुरूष उत्तराधिकारी होने के कारण मुआवजा राशि प्राप्त करने का हकदार उत्तरवादी ही है। उनका आगे कथन है कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एक न्यायालय है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को उपायुक्त का शक्ति प्रदत्त है। उसी आधार पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता के दावा आवेदन को खारिज किया है। इसलिए पूर्व निर्णित कानून द्वारा वाधित होने के कारण वर्तमान अपील वाद चलने योग्य नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता अपने पिता की मृत्यु के बाद कभी भी सम्पति के लिए दावा नहीं की है। पुतुल देवी के कहने पर अपीलकर्त्ता द्वारा यह दावा आवेदन दायर किया गया है। जबकि अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी उक्त अधिग्रहण जमीन का आधा हिस्सा का हकदार है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए पहले से तैयार मुआवजे के आधार पर समान रूप से मुआवजा के विभाजन का निर्देश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को देने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–348 / जि0भू0अ0 दिनांक–27.03.19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि एन0टी0पी0सी0 एम0जी0आर0 रेल निर्माण हेतु मौजा–खदहरा घाट, अंचल–महागामा के अन्तर्गत जमाबंदी नं0–7 के तहत दाग नं0–64, 66, 77, 72 एवं 76 का एवार्ड उपायुक्त–सह–समुचित प्राधिकार के द्वारा दिनांक–07.12.2017 को घोषित किया गया है। उपायुक्त न्यायालय में मिस पिटिशन सं0–29 / 2018 पुतुल देवी बनाम् सनातन दत्त एवं अन्य तथा मिस पिटिशन सं0–28 / 2018 दुखनी देवी बनाम् सनातन दत्त के वाद में माननीय न्यायालय के द्वारा अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी के कराये गये जाँच प्रतिवेदन के साथ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया था। उक्त निदेश के आलोक में विविध वाद संख्या–42 / 2018–19 संधारित कर सुनवाई की गई एवं आदेश पारित किया गया। पारित आदेश के उपरांत मृत एवार्डियों के स्थान पर उनके वर्तमान वारिसानों को एवार्ड के भुगतान हेतु उपायुक्त महोदया से आदेश प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला मौजा–खदहराघाट के अन्तर्गत दाग नं0–64, 66, 77, 72 एवं 76 के जमीन का अवार्ड भुगतान से संबंधित है। अपीलकर्त्ता ने अधिग्रहित जमीन का आधा हिस्सा का अवार्ड भुगतान करने के लिए दावा किया है। इसके पूर्व मिस पिटीशन नं0–29 / 18 दायर किया गया था। उक्त वाद में दिये गये निदेश के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा विविध वाद सं0–42 / 2018–19 के आदेश दिनांक–28.01.2019 के द्वारा दुखनी देवी के दावा को खारिज किया गया है। उसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील वाद लाया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अधिग्रहित जमीन का अवार्ड भुगतान हेतु उपायुक्त, गोड्डा से आदेश प्राप्त है। ऐसी स्थिति में इस स्तर से कोई निर्णय देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 13:09:38 +05:30
Location: 192.168.29.32

18/08/21 | 18/08/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Misc Pitt No 07-2019

Seen
Brijesh Adv
17/8/21